

समाहरणालय हजारीबाग (कल्याण शाखा)

अति अल्पकालीन निविदा

हजारीबाग जिलान्तर्गत वित्तीय वर्ष 2018-19 के लिए कल्याण विभाग द्वारा संचालित आवासीय विद्यालयों यथा अनुसूचित जाति आवासीय उच्च विद्यालय, बरसोत एवं अन्य पिछड़ी जाति बालिका आवासीय उच्च विद्यालय, हजारीबाग में खाद्य-अखाद्य सामग्रियों की आपूर्ति हेतु निविदा थोक एवं खुदरा निबंधित/पंजीकृत बिक्रेताओं से आमंत्रित की जाती है। **Financial Bid & Technical Bid** अलग-अलग बंद लिफाफा में निविदा समर्पित करना होगा।

निविदा मोहरबंद लिफाफे में जिला कल्याण पदाधिकारी, हजारीबाग के कार्यालय में दिनांक 19.09.18 को पूर्वाह्न 11.00 बजे तक लिया जायगा तथा उसी दिन पूर्वाह्न 12.00 बजे जिला क्रय समिति के द्वारा निविदादाता या उनके प्राधिकृत प्रतिनिधियों के समक्ष निविदा खोली जायेगी।

निविदा की शर्तें एवं खाद्य-अखाद्य सामग्रियों की सूची के लिए जिला कल्याण कार्यालय, हजारीबाग के सूचना पट्टा अथवा वेबसाइट www.hazaribag.nic.in पर देखा जा सकता है।

निविदा की शर्तें :-

1. निविदादाता को निविदा के साथ 1,00,000/- (एक लाख) रुपये बैंक ड्राफ्ट/राष्ट्रीय बचत प्रमाण-पत्र जिला कल्याण पदाधिकारी, हजारीबाग के पदनाम से **Pledge** संलग्न करना होगा।
2. निविदादाता को प्रतिष्ठान का आयकर सहित पैन नम्बर एवं आयकर का अद्यतन प्रमाण पत्र की छायाप्रति स्व अभिप्रमाणित कर देना होगा, जो वर्ष 2017-18 का हो।
3. निविदादाता को 10.00 लाख रूपया का वार्षिक **Turnover** होने का प्रमाण पत्र देना होगा तथा फर्म के काली सूची में दर्ज नहीं होने का नोटरी पब्लिक द्वारा निर्गत शपथ पत्र देना होगा।
4. निविदादाता को प्रतिष्ठान का जी.एस.टी. नम्बर सहित पंजीकरण का अद्यतन प्रमाणपत्र की छायाप्रति स्व अभिप्रमाणित कर देना होगा।
5. निविदादाता को अनुमण्डल पदाधिकारी/उपायुक्त द्वारा निर्गत अद्यतन आचरण प्रमाण पत्र की छायाप्रति स्व अभिप्रमाणित कर देना होगा।
6. निविदादाता को सामग्रियों का दर सभी कर सहित अंकित करना होगा। एक सामग्री का एक से अधिक अंकित दर मान्य नहीं होगा।
7. खाद्य-अखाद्य सामग्रियों की आपूर्ति आवासीय विद्यालयों में पहुँचा कर करना होगा, जिसके लिए अलग से कोई परिवहन एवं हथलन व्यय देय नहीं होगा।
8. सामग्रियों का दर स्थानीय बाजार दर से ज्यादा अंतर पाये जाने पर उक्त सामग्रियों के दर पर विचार नहीं किया जायगा।
9. निविदादाता को स्वास्थ्य विभाग द्वारा निर्गत हेल्थ लाईसेंस का छायाप्रति स्व अभिप्रमाणित कर देना होगा।
10. आपूर्ति आदेश प्राप्ति के एक सप्ताह के अन्दर सामग्रियों की आपूर्ति करनी होगी अन्यथा आपूर्ति आदेश रद्द करते हुए अग्रधन की राशि जप्त कर काली सूची में दर्ज करने की कार्रवाई की जायेगी।
11. स्वीकृत निविदित प्रतिष्ठान को 50 रुपये के नन ज्यूडिसियल स्टाम्प पर एकरारनामा करना होगा।
12. आपूर्तिकर्ता को किसी प्रकार का अग्रिम भुगतान नहीं किया जायेगा। आवंटन की प्रत्याशा में सामग्रियों की आपूर्ति देते रहना होगा एवं आवंटन प्राप्त होने पर ही भुगतान किया जायेगा। सामग्रियों के विपत्र के अनुसार भुगतान राशि से आयकर की राशि जमा/कटौती करने के पश्चात ही भुगतान प्राप्त किया जा सकेगा। जी0एस0टी0 का भुगतान अलग से नहीं किया जायगा।
13. निविदा खोलने के समय जिला क्रय समिति के समक्ष सामग्रियों का नाम लिखा हुआ नमूना प्रस्तुत करना होगा।
14. किसी भी निविदा को आंशिक एवं पूर्ण रूप से स्वीकार करने या रद्द करने का अधिकार अधोहस्ताक्षरी को सुरक्षित होगा।

ह0/-

जिला कल्याण पदाधिकारी
हजारीबाग।

हजारीबाग जिला अन्तर्गत कल्याण विभाग द्वारा संचालित आवासीय विद्यालयों में
वित्तीय वर्ष 2018-19 में खाद्य-अखाद्य सामग्रियों की आपूर्ति हेतु सूची:-

खाद्य-अखाद्य सामग्रियाँ-

1. चावल उसना उतम- प्रति किलोग्राम
2. चावल उसना मध्यम-प्रति किलोग्राम
3. चावल अरवा उतम- प्रति किलोग्राम
4. चावल अरवा मध्यम- प्रति किलोग्राम
5. आटा- प्रति किलोग्राम
6. मैदा- प्रति किलोग्राम
7. चना-प्रति किलोग्राम
8. बेसन (कृष्णा एवं जलान)-प्रति किलोग्राम
9. सत्तू (कृष्णा एवं जलान)- प्रति किलोग्राम
10. राहड़ दाल-प्रति किलोग्राम
11. मसूर दाल- प्रति किलोग्राम
12. चना दाल- प्रति किलोग्राम
13. मूंग दाल- प्रति किलोग्राम
14. सूजी- प्रति किलोग्राम
15. सोयाबीन- प्रति किलोग्राम
16. चीनी- प्रति किलोग्राम
17. चूड़ा- प्रति किलोग्राम
18. नमक- प्रति किलोग्राम
19. मूंगफली दाना- प्रति किलोग्राम
20. सरसो तेल- प्रति किलोग्राम
21. रिफाईन- प्रति किलोग्राम
22. जीरा गोटा- प्रति किलोग्राम
23. जीरा पाउडर- प्रति किलोग्राम
24. गोलकी गोटा-प्रति किलोग्राम
25. गोलकी पाउडर- प्रति किलोग्राम
26. हल्दी गोटा- प्रति किलोग्राम
27. हल्दी पाउडर- प्रति किलोग्राम
28. धनिया गोटा- प्रति किलोग्राम
29. धनिया पाउडर- प्रति किलोग्राम
30. लाल मिर्चा गोटा- प्रति किलोग्राम
31. लाल मिर्चा पाउडर- प्रति किलोग्राम
32. गर्म मशाला गोटा- प्रति किलोग्राम
33. चिकन मसाला पाउडर 100 ग्राम- प्रति पैकेट
34. मीट मसाला पाउडर 100 ग्राम- प्रति पैकेट
35. पचफोरन- प्रति किलोग्राम
36. ज्वाईन-प्रति किलोग्राम
37. मंगरैला- प्रति किलोग्राम
38. तेजपत्ता- प्रति किलोग्राम
39. पीला सरसो- प्रति किलोग्राम
40. गुड़ ढेला-प्रति किलोग्राम
41. राजमा- प्रति किलोग्राम
42. काबली चना- प्रति किलोग्राम
43. नारियल तेल पैरासूट 100 ग्राम- प्रति पीस
44. दूध पेस्ट कॉलगेट 100 ग्राम- प्रति पीस
45. लाईफबॉय साबुन बड़ा- प्रति पीस
46. लक्स साबुन बड़ा-प्रति पीस
47. रिन साबुन बड़ा- प्रति पीस
48. एरियल साबुन बड़ा- प्रति पीस
49. व्हील पाउडर- प्रति किलोग्राम
50. सर्फ एक्सेल पाउडर-प्रति किलोग्राम
51. ईगल फिनाईल- प्रति बोतल
52. हॉरपिक 500 मि0ली0- प्रति पीस
53. नारियल झाड़ू-प्रति पीस
54. फुल झाड़ू-प्रति पीस
55. होमलाईट माचीस- प्रति पैकेट
56. पापड़ लिज्जत- प्रति पैकेट
57. पापड़ भूरा- प्रति पैकेट
58. मैक्सो मारिकटो क्वाईल- प्रति पैकेट
59. डेटॉल लिक्विड 100 ग्राम- प्रति पीस
60. सैफलॉन लिक्विड 100 ग्राम- प्रति पीस
61. कोयला- प्रति किलोग्राम
62. लकड़ी- प्रति किलोग्राम
63. पनीर (सुधा एवं अमूल)- प्रति किलोग्राम

64. मक्खन (सुधा एवं अमूल)- प्रति किलोग्राम
65. एल.ई.डी. बल्ब (18 वॉट)-प्रति पीस
66. छेना मिठाई- प्रति किलोग्राम
67. खरसी मीट-प्रति किलोग्राम
68. मुर्गा मीट (फार्म)- प्रति किलोग्राम
69. मछली- प्रति किलोग्राम
70. अंडा- प्रति दर्जन
71. ब्रेड 200 एवं 400 ग्राम- प्रति पैकेट
72. हॉरलिक्स- प्रति किलोग्राम
73. टमाटो सोस- प्रति किलोग्राम
74. आम- प्रति किलोग्राम
75. संतरा- प्रति किलोग्राम
76. अंगूर-प्रति किलोग्राम
77. नासपती- प्रति किलोग्राम
78. सेव- प्रति किलोग्राम
79. पक्का केला- प्रति दर्जन
80. दूध सुधा- प्रति लीटर
81. सुधा दही- प्रति किलोग्राम
82. आलू- प्रति किलोग्राम
83. प्याज- प्रति किलोग्राम
84. लहसून-प्रति किलोग्राम
85. आदि- प्रति किलोग्राम
86. हरा मिर्चा- प्रति किलोग्राम
87. हरी सब्जी (नाम सहित)- प्रति किलोग्राम

ह0/-
जिला कल्याण पदाधिकारी,
हजारीबाग ।